



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

25 अग्रहायण 1932 (श0)  
(सं0 पटना 784) पटना, वृहस्पतिवार 16 दिसम्बर 2010

---

विधि विभाग

अधिसूचना

16 दिसम्बर 2010

सं० एल0जी0-1-27/2010/लेज-195—बिहार विधान मंडल द्वारा यथापारित निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर महामहिम राज्यपाल दिनांक 16 दिसम्बर 2010 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिये प्रकाशित किया जाता है ।

बिहार—राज्यपाल के आदेश से,  
राजेन्द्र कुमार मिश्र,  
सरकार के सचिव।

**[बिहार अधिनियम 27, 2010]****बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2010**

बिहार राज्य की संचित निधि में से कुछ राशियों की निकासी 31 मार्च 2011 को समाप्त होने वाले वर्ष की सेवा के लिए शोधन और विनियोग प्राधिकृत करने के निमित्त अधिनियम ।

**भारत गणराज्य के इकसठवें वर्ष में बिहार राज्य विधान मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-**

**1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।-** (1) यह अधिनियम बिहार विनियोग (संख्या-4) अधिनियम, 2010 कहा जा सकेगा ।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण बिहार राज्य में होगा ।

(3) यह 01 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा ।

**2. 2010-11 वर्ष के लिए बिहार राज्य की संचित निधि में से 29,50,15,40,000 (उनतीस अरब पचास करोड़ पन्द्रह लाख चालीस हजार) रूपये की निकासी ।-** बिहार राज्य की संचित निधि में से अनुसूची के स्तम्भ-2 में उल्लिखित सेवाओं के संबंध में 01 अप्रैल 2010 को शुरू होने वाले वर्ष में भुगतान के सिलसिले में होने वाले विभिन्न व्ययों की पूर्ति के लिए कुल 29,50,15,40,000 (उनतीस अरब पचास करोड़ पन्द्रह लाख चालीस हजार) रूपये जो अनुसूची के स्तम्भ-6 में उल्लेखित राशियों से अधिक न होंगे, निकाले जा सकेंगे ।

**3. विनियोग ।-** इस अधिनियम के द्वारा बिहार राज्य की संचित निधि में से निकासी के लिए प्राधिकृत राशियां 01 अप्रैल 2010 को शुरू होने वाले वर्ष से संबंधित अनुसूचियों में उल्लिखित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए और उनके संबंध में विनियोजित की जायेगी ।

अनुसूची  
(धाराएं 2 और 3 देखें)

मांग / विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
1	कृषि विभाग	राजस्व	3,84,04,49,000		3,84,04,49,000
		पूंजी			
2	पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग	राजस्व	4,13,17,000		4,13,17,000
		पूंजी			
3	भवन निर्माण विभाग	राजस्व	7,71,60,000		7,71,60,000
		पूंजी			
4	मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग	राजस्व	30,59,000		30,59,000
		पूंजी			
5	राज्यपाल सचिवालय	राजस्व		5,91,000	5,91,000
		पूंजी			
6	निर्वाचन विभाग	राजस्व	69,21,000		69,21,000
		पूंजी			
7	निगरानी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
9	सहकारिता विभाग	राजस्व	5,28,11,000		5,28,11,000
		पूंजी	21,48,47,000		21,48,47,000
10	उर्जा विभाग	राजस्व	3,60,00,00,000		3,60,00,00,000
		पूंजी			
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	राजस्व	16,00,000		16,00,000
		पूंजी			
12	वित्त विभाग	राजस्व			
		पूंजी	11,50,00,00,000		11,50,00,00,000
13	सूद भुगतान	राजस्व		3,47,000	3,47,000
		पूंजी			
14	ऋण अदायगियां	राजस्व			
		पूंजी		20,35,000	20,35,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
15	पेंशन	राजस्व		50,00,000	50,00,000
		पूंजी			
16	पंचायती राज विभाग	राजस्व	1,52,95,16,000		1,52,95,16,000
		पूंजी			
17	वाणिज्य-कर विभाग	राजस्व	16,50,000		16,50,000
		पूंजी			
18	खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग	राजस्व	2,34,65,000		2,34,65,000
		पूंजी			
19	पर्यावरण एवं वन विभाग	राजस्व	4,87,99,000		4,87,99,000
		पूंजी			
20	स्वास्थ्य विभाग	राजस्व	12,69,81,000		12,69,81,000
		पूंजी			
21	मानव संसाधन विकास विभाग	राजस्व	8,60,78,000		8,60,78,000
		पूंजी			
22	गृह विभाग	राजस्व	2,18,82,000		2,18,82,000
		पूंजी			
23	उद्योग विभाग	राजस्व	5,16,60,000		5,16,60,000
		पूंजी			
24	सूचना एवं जनसंपर्क विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
25	सूचना प्राविधिकी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
26	श्रम संसाधन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
27	विधि विभाग	राजस्व	54,67,00,000		54,67,00,000
		पूंजी			
28	उच्च न्यायालय	राजस्व		1,15,00,000	1,15,00,000
		पूंजी			
29	खान एवं भूतत्व विभाग	राजस्व			
		पूंजी			

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व	89,51,000		89,51,000
		पूंजी			
31	संसदीय कार्य विभाग	राजस्व	52,01,000		52,01,000
		पूंजी			
32	विधान मंडल	राजस्व	6,48,00,000		6,48,00,000
		पूंजी			
33	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व	2,37,14,000		2,37,14,000
		पूंजी			
34	बिहार लोक सेवा आयोग	राजस्व			
		पूंजी			
35	योजना एवं विकास विभाग	राजस्व	85,93,58,000		85,93,58,000
		पूंजी			
36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	राजस्व	12,07,07,000		12,07,07,000
		पूंजी			
37	ग्रामीण कार्य विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
38	निबंधन, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग	राजस्व	40,26,000		40,26,000
		पूंजी			
39	आपदा प्रबंधन विभाग	राजस्व	3,00,74,99,000		3,00,74,99,000
		पूंजी			
40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	राजस्व	54,41,72,000		54,41,72,000
		पूंजी			
41	पथ निर्माण विभाग	राजस्व	3,50,01,000		3,50,01,000
		पूंजी	1,47,81,83,000		1,47,81,83,000
42	ग्रामीण विकास विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	राजस्व	99,11,000		99,11,000
		पूंजी			
45	गन्ना उद्योग विभाग	राजस्व	25,98,97,000		25,98,97,000
		पूंजी	75,34,92,000		75,34,92,000

मांग/ विनियोग संख्या	सेवा से संबंधित मांग या विनियोग	राजस्व पूंजी	अनधिक राशियां		
			बिहार विधान मंडल द्वारा दिए गए अनुदान	राज्य की संचित निधि पर भारित	योग
1	2	3	4	5	6
46	पर्यटन विभाग	राजस्व			
		पूंजी			
47	परिवहन विभाग	राजस्व	3,17,40,000		3,17,40,000
		पूंजी			
48	नगर विकास एवं आवास विभाग	राजस्व	48,32,25,000		48,32,25,000
		पूंजी			
49	जल संसाधन विभाग	राजस्व	80,00,000		80,00,000
		पूंजी			
50	लघु जल संसाधन विभाग	राजस्व	40,00,000		40,00,000
		पूंजी			
51	समाज कल्याण विभाग	राजस्व	52,95,000		52,95,000
		पूंजी			
योग राजस्व			15,53,55,45,000	1,74,38,000	15,55,29,83,000
योग पूंजी			13,94,65,22,000	20,35,000	13,94,85,57,000
महायोग			29,48,20,67,000	1,94,73,000	29,50,15,40,000

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

राजेन्द्र कुमार मिश्र,

सरकार के सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 784-571+400-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>